

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

~~मुकेश~~ बनाम गोगा (वर्ग 2A)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 118 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
5-6-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक <u>20-6-23</u> को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p>	
13/6/23	<p>पत्रावली महगार्स राहत कैंप ऐव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत चौडास में पेश हुई । विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाठ पठ किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया भाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फिलहाल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>हुक्मीचन्द्र रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या - 118/23 प्रा.पत्र

1- श्री सुकेश जी श्री जगन्नाथ लाला निवासी - पालानगर तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीमती गंगा जी श्री सौहन सुधार निवासी - पालानगर (अमानपुरा) तहसील - माण्डल
2. श्री रामेश्वर जी श्री रामलाल बाहाण निवासी - _____
3. श्री विष्णुकान्त जी श्री कलौड बाहाण निवासी - _____
4. राजरवान राज्य अरिफ तहसीलदार सा. माण्डल तहसील - माण्डल - विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालानगर पटवार हल्का अमानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 3863, 4891/3864 कुल किता 02 रकबा 1-2899 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पालानगर पटवार हल्का अमानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3863, 4891/3864 कुल किता 02 रकबा 1-2899 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमानपुरा को 600/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023